

**कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।**  
पत्रांक 1052 / 14-1(152381 / 2022), आगरा, दिनांक, 04, सितम्बर, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**विषय :-** जनपद आगरा में चंदोसी आगरा तौतपुर कोट मार्ग (एस0एच0-39) के किमी0 0.236 के चैनैज 235.030 ग्राम रैना नगर तहसील खेरागढ एवं किमी0 सं0-245 के चैनैज 244.010 ग्राम सरैधी तहसील खेरागढ पर निर्माण खण्ड-2 लोक निर्माण विभाग आगरा द्वारा राज्य सडक निधि योजना के अन्तर्गत राज्य मार्ग सं0-39 की बांयी पटरी पर प्रस्तावित दो ट्रक ले बाई निर्माण कार्य हेतु 0.408 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

**संदर्भ :** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक-8बी/यू.पी./06/143/2022/एफ0पी0/273 दिनांक 20.07.2022 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 286/11-सी दिनांक 22.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति की अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के पत्रांक 1098/14-1 दिनांक 02.09.2022 (संलग्न है) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, प्राप्त आख्या के आधार पर आख्या संस्तुति सहित निम्नवत् है :-

S.No	Observation	Reply
1.	As per the proposal number of trees to be felled is Nil but according to the Google earth Imageries dated Feb. 2022. Some trees are visible on the forest area proposed for diversion. This needs recification/clearification	विषयगत प्रस्ताव बिना वृक्ष पातन का है तथा प्रस्तावित स्थल के पास गूगल इमेज पर जो वृक्ष दिखायी दे रहे हैं उनका पातन नहीं किया जाना है बिना वृक्ष पातन के ही ट्रक ले बाई का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इस आशय का प्रयोक्ता द्वारा दिया गया शपथ पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
2.	The NEI suitable area for plantation for GIS - DSS unilivers 0.08 ha. Which is less than the actual required CA land area.	संशोधित जीओ रिफेश मैप संलग्न है।
3.	Positional error has been found in the proposed CA land area. This needs rectification.	प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र की त्रुटि सुधार दी गयी है।
4.	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approsed by concerned DFO needs to be submitted.	इस आशय का प्रयोक्ता द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।

प्रस्ताव की आपत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख 03 प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

**संलग्नक :- उपरोक्तानुसार**

भवदीय,

(राकेश चन्द्र)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 1052 / 14-1 समदिनांकित।

1- प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके पत्रांक 1098/14-1 दिनांक 02.09.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राकेश चन्द्र)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।